डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी **श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)**

वाद संख्या : 35/2015 **निर्णय दिनांकः11.06.2018**

1. राजेश पुत्र चन्दा
   जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा वाया गठवाडी, तह0 आमरे जिला जयपुर
2. मीना पुत्री चन्दा पत्नी श्री राजपाल पलसानिया
   जाति जाट, निवासी होली की ढाणी (पलस्यानावाली ढाणी), शाहपुरा जिला जयपुर।
3. सुनीता पुत्री चन्दा पत्नी श्री इन्द्राज पलसानिया
   जाति जाट, निवासी होली की ढाणी (पलस्यानावाली ढाणी), शाहपुरा जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. चन्दा पुत्र नोन्दा
2. केसरी पत्नी चन्दा
3. नारायण पुत्रान नोन्दा
4. जगदीश
5. श्रवणी पत्नी मांगू
6. भैरूलाल पुत्रान मांगू
7. रामेश्वर
8. रिछपाल सिंह
9. पांची बेवा मूलचन्द उर्फ मुरली

10 रोहिताश्व पुत्रान स्व0 मूलचन्द उर्फ मुरली

10\. सुरेन्द्र
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कवंरपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर।

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर।

12\. विमला पुत्री चन्दा पत्नि कालूराम जाति जाट
निवासी ढाणी खालसाली ग्राम राडास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

चूंकि वादीगण द्वारा वादी के सरंक्षक/वादमित्र के अभाव में वाद प्रस्तुत किया है अतः वाद वादीगण यवहार प्रकिया सहिता के आदेश 32 (2) के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

दस्तखत----
ओहदा----

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रेक आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपय		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या : 35/2015 **निर्णय दिनांकः11.06.2018**

1. राजेश पुत्र चन्दा
   जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा वाया गठवाडी, तह0 आमरे जिला जयपुर
2. मीना पुत्री चन्दा पत्नी श्री राजपाल पलसानिया
   जाति जाट, निवासी होली की ढाणी (पलस्यानावाली ढाणी), शाहपुरा जिला जयपुर।
3. सुनीता पुत्री चन्दा पत्नी श्री इन्द्राज पलसानिया
   जाति जाट, निवासी होली की ढाणी (पलस्यानावाली ढाणी), शाहपुरा जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. चन्दा पुत्र नोन्दा
2. केसरी पत्नी चन्दा
3. नारायण | पुत्रान नोन्दा
4. जगदीश |
5. श्रवणी पत्नी मांगू
6. भैरूलाल | पुत्रान मांगू
7. रामेश्वर |
8. रिछपाल सिंह |
9. पांची बेवा मूलचन्द उर्फ मुरली
10. रोहिताश्व | पुत्रान स्व0 मूलचन्द उर्फ मुरली
11. सुरेन्द्र |

    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कवंरपुरा तह0 आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 आमेर जिला जयपुर।
13. विमला पुत्री चन्दा पत्नि कालूराम जाति जाट
    निवासी ढाणी खालसाली ग्राम राडास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अधिवक्ता प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया है कि वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जिसमें वादी ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां होने का असत्य कथन अंकित किया है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के 1 पुत्र राजेश एवं 3 पुत्रियां भगवती उर्फ संतोष उर्फ मीना, सुनीता एवं विमला है, किन्तु फिर भी वादीया संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीगण की 1 पुत्री श्रीमति विमला को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण का पुत्र वादी सं0 1 राजेश अस्वस्थ चित एवं मस्तिष्क का व्यक्ति है जिसे वादिया सं0 2 व 3 ने वादी सं0 1 के रूप में उक्त वाद में प्रतिस्थापित किया है, जबकि वादी स0 1 जो कि अस्वस्थ चित्त व अस्वस्थ मस्तिष्क है जो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है एवं प्रार्थीगण के पास ही रहता है तथा उसके दैनिक नित्यकर्म भी प्रार्थीगण द्वारा ही करवाये जाते है उस व्यक्ति द्वारा ना तो उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है और ना ही उसके द्वारा कानूनन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु फिर भी वादिया सं0 2 व 3 ने वादी सं0 1 को पक्षकार बनाते हुए उक्त वाद पर वादी सं0 1 की फर्जी अंगूठा निशानी लगाते हुए उक्त वाद को उसके द्वारा सत्यापित किया जाना एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है जो गलत है परिणामस्वरूप अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर प्रस्तुत किया गया उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया सं0 2 व 3 ने जानबूझकर श्रीमती विमला उर्फ सुनीता को वाद में पक्षकार प्रतिस्थापित नही किया है जिसकी वजह से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पक्षकार के कुसंयोजन से ग्रसित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया सं0 2 व 3 ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये वाद में वादी सं0 1 को पक्षकार सुनियोजित करते हुए उक्त वाद माननीय न्यायालय के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि वादी सं0 1 जो कि अस्वस्थ चित्त एवं अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है जो कि ना तो किसी भी तरह की कानूनी प्रकिया को समझता है एवं ना ही किसी प्रकार का भला बुरा समझता है किन्तु फिर भी वादिया सं0 2 व 3 ने उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो पूर्णतः विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादकारण के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन के रूप में प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तीसरी पुत्री श्रीमति बिमला का पूर्व में वादीगण को पता ज्ञात नही होने के कारण वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सका था। अब वादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी पर न्यायालय द्वारा बिमला को प्रतिवादी सं0 13 बनाये जाने का आदेश पारित कर दिया है, उक्त संशोधन वाद पत्र में हो चुका है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आज तक उक्त बिमला का पता न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। वादी सं0 1 वादिया सं0 2 व 3 का सगा भाई है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 उक्त वादी सं0 1 की मानसिक अवस्था का अनुचित लाभ उठाना चाहते है एवं उक्त विवादित भूमि को विकय कर वादी सं0 1 को बेघर करना चाहते थे इसलिये वादीया सं0 2 व 3 ने वादी सं0 1 के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्वयं वादी सं0 1 को अपने साथ लेकर यह वाद पेश किया है। वादी सं0 1 को अपने साथ लेकर यह वाद पेश किया है। वादी सं0 1 की फर्जी अंगूठा निशानी होना गलत अंकित किया गया है। उक्त वाद को वादी सं0 1 व वादिया सं0 2 व 3 ने मिलकर पेश किया है तथा उक्त वादी की दायरी से लेकर फैसले तक वादी सं0 2 व 3 वादी सं0 1 की सम्पूर्ण कानूनी अधिकारों की पैरवी के लिये उसके साथ हमेशा तत्पर है। ऐसा वाद किसी भी प्रकार से किसी विधि से वर्जित नही है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादी सं0 1 की मानसिक अवस्था का लाभ उठाकर विवादित भूमि को बेचने पर आमदा है जिससे कि वादी सं0 1 उक्त भूमि में अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जावे। वादीया सं0 2 व 3 ने यह वाद वादी सं0 1 के हितो की रक्षा हेतु पेश किया है तथा वादीया सं0 2 व 3 वादी सं0 1 के अधिकारों की रक्षा हेतु इस वाद की पैरवी करने के लिये पूर्णतया सक्षम है। वादी सं0 1 के हितों की पूर्ण रक्षा करने हेतु वादिया सं0 2 व 3 पूरी तरह सक्षम है। वादी सं0 1 को अगूंठा फर्जी होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है। सी.पी.सी में आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी में वाद को खारिज किये जाने हेतु जो आधार दिये गये है उनमें से एक भी आधार इस वाद में लागू नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र 3 आधारों पर प्रस्तुत किया गया है– (1) आवश्यक व्यक्ति को पक्षकार मुकदमा नही बनाये जाने के आधार पर (2) मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति का फर्जी अगूंठा निशानी लगाकर वाद प्रस्तुत करने के आधार पर (3) मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाने के आधार पर। उक्त कम सं0 1 के कम में चूंकि उक्त अपेक्षित पक्षकार को वाद में पक्षकार बनाया जा चुका है अतः उक्त सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अब सारहीन है तथा कम सं0 2 के सन्दर्भ में चूंकि स्वयं समस्त पक्षकारान द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्वीकार किया गया है कि प्रदर्शित अगूंठा निशानी स्वयं वादी सं0 1 की है। यद्यपि यह तथ्य भिन्न है कि उक्त व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है। अतः अगूंठा निशानी के कम में उक्त तथ्य आधारहीन है शेष तथ्य विवेचन का विषय है। बिन्दू सं0 3 का विवेचन करने पर एवं स्वयं वादी सं0 1 के उपस्थित होने से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है। उक्त वादपत्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी उक्त व्यक्ति के ही है जो कि व्यवहार प्रक्रिया सहिता के आदेश 32 के अन्तर्गत वाद संस्थित करने हेतु विधिक रूप से पात्र नही है। ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति के सरंक्षक द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। जो कि उक्त प्रस्तुत वाद में उसका वादमित्र कहलाता तथा शपथ पत्र हस्ताक्षर भी उक्त सरंक्षक/वादमित्र द्वारा किया जाना चाहिये था। इसके साथ ही वादी की स्थिति स्पष्ट करते हुये वाद पेश करना चाहिए था अतः व्यवहार प्रकिया सहिता के आदेश 32 (2) के अनुसार जहां वादमित्र के बिना वाद संस्थित किया जाता है व प्रतिवादी के आवेदन पर जवाब से निकाल दिया जायेगा। अतः तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चूंकि वादीगण द्वारा वादी के सरंक्षक/वादमित्र के अभाव में वाद प्रस्तुत किया है अतः वाद वादीगण-व्यवहार प्रकिया सहिता के आदेश 32 (2) के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर